ECONOMIC TIMES N.D. 12/8/2019

देसी को बढ़ावा **खराब गुणवत्ता वाले और सस्ते सामान की डंपिंग रोकने में मदद मिलेगी**

हर विदेशी सामान पर लगाना होगा 'मेड इन' टैग

दीपशिखा सिकरवार नई दिल्ली

भारत सभी आयातित सामानों के लिए 'मेड इन' टैग को अनिवार्य बना सकता है। इसमें बताना होगा कि वह सामान कहां बना है। सरकार का मानना है कि इससे खराब गुणवत्ता वाले सामान की डंपिंग रोकने में मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।सरकार ने 'नॉन-प्रेफरेंशियल रूल्स या ओरिजिन' पर काम शुरू किया है और यह योजना इसी का हिस्सा है। ये नियम उन देशों पर लागू होंगे, जिनके साथ भारत का व्यापार समझौता नहीं है। इनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इस मामले से वाकिफ एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत देश में आने वाले सामान के बारे में उनके ओरिजिन की सूचना देनी पड़ती है, लेकिन सामान्य रास्ते या मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे वाले देशों से आने वाले सामान के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है। एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग इयूटी, व्यापार प्रतिबंध, सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई, मात्रा संबंधी पाबंदी जैसे नीतिगत उपायों के साथ कुछ टैरिफ कोटा के लिए नॉन-प्रेफरेंशियल रूल्स का इस्तेमाल होता है। इन नियमों से कस्टम विभाग को खराब गुणवत्ता या देश के व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सामानों का आयात रोकने में मदद मिलेगी। अधिकारी के मुताबिक, इन रूल्स की मदद से कस्टम अधिकारी पता लगा पाएंगे कि कोई सामान कहां बना है। आयातकों को इसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इससे व्यापार नियमों का उल्लंघन रोकने में मदद मिलेगी। अभी किसी देश से आने वाले एक सामान पर एंटी-डंपिंग इयूटी लगाई जाती है तो ट्रेडर उससे बचने के लिए उसी सामान को किसी अन्य देश से मंगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और कस्टम विभाग ऐसे आयात को रोकने में असफल रहा है। प्रस्तावित नियमों से उन्हें पता चलेगा कि कोई सामान किस देश में बना है। अगर उससे किसी व्यापार संबंधी नियम का उल्लंघन हो रहा होगा, तो वे उस पर सीमा शुल्क लगाएंगे। किसी सामान के लिए जो तकनीकी मानक तय किए गए हैं, उसकी भी जांच की जा सकेगी।

इंपोर्ट पर अंकुश

इंपोर्टर्स से **'मेड इन'** टैग लगाने के लिए कहा जा सकता है

सस्ते इंपोर्ट या डंपिंग पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी

40 देशों ने अपने यहां ऐसे रूल्स अपनाए हुए हैं

नॉन-FTA ट्रेड पार्टनर्स: **USA, EU, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड**